# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

R 3604-I/14

1. लखन तनय रामचरन यादव
2. मोहन तनय रामचरन यादव
3. कनई तनय रामचरन यादव

सभी निवासी ग्राम जमुनयां तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

............निगराकार

**विरुद्ध**

रमेश तनय नाथूराम यादव ग्राम जमुनयां तहसील वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

.........प्रतिनिगराकार

क्रमांक 3444 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ........ को प्राप्त

लिपिक राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

| | | |
|---|---|---|
| निगरानी म.प्र.भू.रा.सं. के धारा | :– | 50 |
| निगरानी कारण दिनांक | :– | 26.05.2014 |
| निगरानी पारित आदेश | :– | दिनांक 26.05.2014 अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ म.प्र. |
| प्रकरण क्र. | :– | 7 निगरानी 2013–14 |

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार की ओर से विनय हैं कि :–

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं यह कि भूमि स्थित ग्राम जमुनयां खसरा क्र. 33/1/1 पर मृत खातेदार पंखी बेवा हरप्रसाद के नाम राजस्व अभिलेखों में भू–स्वामी के रूप में दर्ज था जिस पर निगराकार एवं प्रतिनिगराकारों द्वारा विद्वान अधिनस्थ न्यायालयों के समक्ष विभिन्न वसीयतों के आधार पर अपना हक एव अधिकार सिद्ध करने हेतु दावे पृथक–पृथक प्रस्तुत किये जहां अंतिम वसीयत सिद्धांत को आधार मानकर प्रतिनिगराकार को उक्त भूमि का हक एवं स्वामित्व विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

---------

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3604-एक/2014 जिला टीकमगढ़

लखन विरूद्ध रमेश

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम |
|---|---|---|
| 07-03-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 7/निगरानी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26-05-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।<br>2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br>(आर.के. जैन) 07/3/19<br>सदस्य | |